

उत्तर प्रदेश सरकार
हरिजन एवं समाज कल्याण अनुभाग-3

संख्या 8505/26-3-81-11(76)/81

लखनऊ, दिनांक 16 नवम्बर, 1981

कार्यालय-ज्ञाप

प्रदेश में अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास हेतु चलाई जा रही स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के कार्यान्वयन की वांछित दिशा एवं गति प्रदान करने के उद्देश्य से उसकी प्रगति की मासिक समीक्षा हेतु श्री राज्यपाल ने एक उच्च-स्तरीय स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान समीक्षा समिति निम्नवत् गठित की है:--

- | | |
|--|--------------|
| 1--राज्य मंत्री, हरिजन एवं समाज कल्याण | अध्यक्ष |
| 2-- कृषि उत्पादन आयुक्त | सदस्य |
| 3--वित्त सचिव | सदस्य |
| 4--नियोजन सचिव | सदस्य |
| 5--सचिव, संस्थागत वित्त | सदस्य |
| 6--सचिव, हरिजन एवं समाज कल्याण | सदस्य-संयोजक |
- 2--उपरोक्त उच्च स्तरीय समिति द्वारा:--
- (1) स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान की प्रगति की प्रत्येक मास समीक्षा की जायेगी।
 - (2) योजना को आवश्यक गति और दिशा प्रदान करने हेतु समस्त सम्बन्धित अधिकारियों और विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किये जायेंगे।
 - (3) योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु धन के आवंटन, व्यय एवं प्रशासनिक इकाइयों के सुदृढीकरण के सम्बन्ध में उपयुक्त और आवश्यक निर्णय लिये जायेंगे।

राम कृष्ण
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 8505/26-3-81-11(76)/81

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

- 1--कृषि उत्पादन आयुक्त।
- 2--वित्त सचिव।
- 3--नियोजन सचिव।
- 4--सचिव, संस्थागत वित्त।
- 5--शासन के शेष विकास विभागों के सचिव एवं विशेष सचिव।
- 6--निजी सचिव, राज्य मंत्री, हरिजन एवं समाज कल्याण।
- 7--निजी सचिव, सचिव हरिजन एवं समाज कल्याण।

आज्ञा से,
राम कृष्ण
सचिव।